अनुमंडल कार्यालय, जमुई, (बिहार)

sdojamui.bih@gmail.com 9473191406

(आपूर्ति शाखा)

विज्ञापन संख्या:– 02/आ०/2026

उचित मूल्य की दुकान (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) की नई अनुज्ञप्ति हेतु आम सूचना

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 में निहित प्रावधानों एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या 1222, दिनांक 08.03.2017 परिपत्र संख्या 1571, दिनांक 28.03.2017 में जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में दिशानिर्देश निर्गत हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या 14396, दिनांक–10.09.2024 के द्वारा रोस्टर क्लीयरेंस के संबंध में निर्गत दिशानिर्देश तथा बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के भाग–2 में निहित प्रावधानों के अनुरुप जमुई अनुमंडल, जिला जमुई अन्तर्गत उचित मूल्य के दुकानों की रिक्तियों के संबंध में सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुसार कुल–83 रिक्तियों के विरुद्ध उचित मूल्य की दुकान की नई अनुज्ञप्ति निर्गत की जानी है, जिसके लिये सुयोग्य व्यक्ति अनुसूची–01 में तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ, अनुसूची–02 में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

जमुई अनुमंडल के समेकित रिक्तियों का कोटिवार विवरण निम्नवत है :–

क्रमांक	कोटि	कोटिवार रिक्ति	महिलाओं के लिए रिक्त पदों का 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत रिक्ति	दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों का 04% क्षैतिज आरक्षण के तहत रिक्ति	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी लिए रिक्त पदों का 02% क्षैतिज आरक्षण के तहत रिक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अनुसूचित जाति	14	05	1. अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता–01, 2. बधिर और श्रवण शक्ति में दिव्यांगता –01 3. स्वपरायणता, बौद्विक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता–01 कुल योग –03	02
2	अनुसूचित जनजाति	0	0		
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	15	05		
4	पिछड़ा वर्ग	10	04		
5	पिछड़ा वर्गो की महिलाएं	02	0		
6	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	08	03		
7	गैर आरक्षित	34	12		
	कुल रिक्ति संख्या :–	83	29		

जमुई अनुमंडल अन्तर्गत प्रखंडवार/पंचायतवार उचित मूल्य की दुकानों की आरक्षण कोटिवार रिक्तियों को अनुमंडल कार्यालय, जमुई एवं सभी प्रखंड कार्यालय के सूचनापट्ट तथा जमुई जिला के वेबसाईट https://jamui.nic.in पर देखा जा सकता है।

प्रखंड/पंचायतवार आरक्षण कोटिवार जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की रिक्ति निम्नवत है :–

क्र0सं0	प्रखंड का नाम	पंचायत / वार्ड का नाम	कोटिवार रिक्ति की संख्या							रिक्ति संख्या
			अनु0 जाति	अनु0 जन0 जाति	अ0 पि0 वर्ग	पि0 वर्ग	पि0 वर्गो की महिलाए	गैर आरक्षित	आ0रुप से कमजोर वर्ग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बरहट	बरहट	0	0	0	0	0	0	1	1
		मलयपुर	1	0	0	0	0	0	0	1
		लखैय	0	0	0	0	0	1	0	1
		कटौना	0	0	1	0	0	0	0	1
		गुगुलडीह	0	0	0	0	0	1	0	1
		डाढ़ा	0	0	0	1	0	0	0	1
2	लक्ष्मीपुर	मटिया	0	0	0	0	0	1	0	1
		गौरा	1	0	0	0	0	0	0	1
3	गिद्धौर	गंगरा	0	0	0	0	0	1	0	1
		पुर्वी गुगुलडीह	0	0	1	0	0	0	0	1
4	जमुई	मंझवे	0	0	0	0	0	0	1	1
		मंझवे	1	0	0	0	0	0	0	1
		काकन	0	0	0	0	0	1	0	1
		लखनपुर	0	0	0	1	0	0	0	1
		कुन्दरी सनकुरहा	0	0	0	0	0	1	0	1
		अड़सार	0	0	1	0	0	0	0	1
		अड़सार	0	0	0	0	0	1	0	1
		अड़सार	0	0	0	0	1	0	0	1
		अड़सार	0	0	0	0	0	1	0	1
		अगहरा बरुअट्टा	1	0	0	0	0	0	0	1
		अगहरा बरुअट्टा	0	0	0	0	0	0	1	1
		दौलतपुर	0	0	1	0	0	0	0	1
		दौलतपुर	0	0	0	0	0	1	0	1
		अमरथ	0	0	0	1	0	0	0	1
		गरसंडा	0	0	0	0	0	1	0	1
5	नगर परिषद जमुई	वार्ड नं0 :–04	1	0	0	0	0	0	0	1
		वार्ड नं0 :–05	0	0	0	0	0	1	0	1
		वार्ड नं0 :–08	0	0	1	0	0	0	0	1
		वार्ड नं0 :–09	0	0	0	0	0	1	0	1
		वार्ड नं0 :–13	0	0	0	1	0	0	0	1
		वार्ड नं0 :–18	0	0	0	0	0	0	1	1
		वार्ड नं0 :–24	1	0	0	0	0	0	0	1

6	सिकन्दरा	कुमार	0	0	0	0	0	1	0	1
		भुल्लो	0	0	1	0	0	0	0	1
		सबलबीघा	0	0	0	0	0	1	0	1
		सिझौड़ी	0	0	1	0	0	0	0	1
		बिछवे	0	0	0	0	0	1	0	1
		ईटासागर	1	0	0	0	0	0	0	1
		ईटासागर	0	0	0	0	0	1	0	1
		मिर्चापाठकचक	0	0	0	1	0	0	0	1
7	ई0 अलीगंज	आढा	0	0	0	0	0	0	1	1
		आढ़ा	0	0	1	0	0	0	0	1
		आढ़ा	0	0	0	0	0	1	0	1
		अबगीला चौरासा	1	0	0	0	0	0	0	1
		अबगीला चौरासा	0	0	0	0	0	1	0	1
		दीननगर	0	0	0	1	0	0	0	1
		अलीगंज	0	0	0	0	0	1	0	1
8	खैरा	हरणी	0	0	1	0	0	0	0	1
		रायपुरा	0	0	0	0	0	1	0	1
		बेला	1	0	0	0	0	0	0	1
		खड़ाईच	0	0	0	0	0	0	1	1
		जितझीगोई	0	0	0	0	1	0	0	1
		चुँआ	0	0	1	0	0	0	0	1
		झुण्डों	0	0	1	0	0	0	0	1
		कागेश्वर	0	0	0	0	0	1	0	1
9	झाझा	केशोपुर	0	0	0	1	0	0	0	1
		कानन	0	0	0	0	0	1	0	1
		जामुखरैया	1	0	0	0	0	0	0	1
		बराजोर	0	0	0	0	0	1	0	1
		करमा	0	0	1	0	0	0	0	1
		करमा	0	0	0	0	0	0	1	1
		वौड़वा	1	0	0	0	0	0	0	1
		टेलवा बाजार	0	0	0	0	0	1	0	1

10	नगर परिषद झाझा	वार्ड नं0 :–02	0	0	0	1	0	0	0	1
		वार्ड नं0 :–04	0	0	0	0	0	1	0	1
		वार्ड नं0 :–12	0	0	1	0	0	0	0	1
		वार्ड नं0 :–13	0	0	0	0	0	1	0	1
		वार्ड नं0 :–13	1	0	0	0	0	0	0	1
11	चकाई	बौंगी	0	0	0	0	0	1	0	1
		रामचन्द्रडीह	0	0	1	0	0	0	0	1
		बामदह	0	0	0	0	0	0	1	1
		चन्द्रमंडीह	0	0	0	1	0	0	0	1
		रामसिंहडीह	0	0	0	0	0	1	0	1
		कल्याणपुर	1	0	0	0	0	0	0	1
		घुटवे	0	0	0	0	0	1	0	1
		घुटवे	0	0	1	0	0	0	0	1
		माधोपुर	0	0	0	0	0	1	0	1
		कियाजोरी	0	0	0	0	0	1	0	1
		पेटरपहड़ी	0	0	0	0	0	1	0	1
		फरयताडीह	0	0	0	1	0	0	0	1
		फरयताडीह	0	0	0	0	0	1	0	1
		नौवाडीह	1	0	0	0	0	0	0	1
		नौवाडीह	0	0	0	0	0	1	0	1
		कुल	14	0	15	10	2	34	8	83

नोट :–_विभागीय निदेशानुसार यदि अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दूकान के लिए अनुसूचित जनजाति का काई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा भरा जायेगा, और यदि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे पिछड़ा वर्ग के आवेदक एवं तद्नुसार इसके विपरीत क्रम (vice versa) द्वारा पद भरा जायेगा।

1. पात्रता एवं शर्तें :–

 i- उचित मूल्य की दूकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा। परंतु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

 ii- उम्र– दिनांक 01.01.2026 को आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।

 iii- आवेदक द्वारा समर्पित किये जाने वाले शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र आवेदन समर्पित करने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत होने चाहिए।

iv- उचित मूल्य की दूकान के आवंटन में प्राथमिकतायें निम्न रुप में होगी :–
(क) स्वयं सहायता समूह।
(ख) महिलाओं की सहयोग समितियाँ।
(ग) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ।
(घ) शिक्षित बेरोजगार।
(ड़) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड (शहरी) के निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. उचित मूल्य की दूकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताएँ :–

i- एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दूकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे।

ii- मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रुप में अपने कार्य काल तक उचित मूल्य की दूकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगे।

iii- आटा–चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दूकान आवंटित नहीं की जायेगी।

iv- अवयस्क, पागल अथवा दिवालिया को उचित मूल्य की दूकान आवंटित नहीं की जायेगी।

v- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रुप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दूकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जायेगी।

vi- सरकारी लाभ के पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दूकान आवंटित नहीं की जायेगी।

3. चयन की प्रक्रिया :–

i- अनुज्ञापन पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों को जाँचोपरांत पंचायतवार/वार्डवार औपबंधिक मेधा सूची तैयार कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय चयन समिति को भेजा जाएगा।

ii- तत्पश्चात जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में औपबंधिक मेधासूची का प्रकाशन जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय के सूचनापट्ट पर करते हुए प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के भीतर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा लिखित दावा/आपत्ति प्राप्त किया जाएगा।

iii- अंतिम तिथि तक प्रत्येक दावा/आपत्ति का विधि–सम्मत निष्पादन करते हुए जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जायेगी। प्रत्येक दावा/आपत्ति के निष्पादन के संबंध में संक्षिप्त कारण अलग से प्रकाशित की जायेगी।

iv- अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन में सन्निहित अनुशंसा के विरुद्ध कोई असंतुष्ट आवेदक स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए साक्ष्यों के साथ 15 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर कर सकेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त रिक्तिवार प्राप्त परिवादों का एक साथ निष्पादन करेंगे। साथ ही सभी परिवादों का निष्पादन परिवाद प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

v- वैसे सभी मामले में जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम मेधा सूची के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष कोई परिवाद दायर नहीं किया गया हो, अनुज्ञापन पदाधिकारी विहित प्रक्रिया से अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे। किंतु जिन मामले में प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर किया गया हो, वैसे मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा आदेश पारित होने के बाद उक्त आदेश के आलोक में अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

vi- जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा पारित आदेश अनुमान्य होगा।

4. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश :–

i- उचित मूल्य की दूकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदक संबंधित अनुज्ञापन पदाधिकारी (अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई) को अपना आवेदन पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से समर्पित करेंगे। व्यक्ति अनुसूची–1 में, स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ अनुसूची–2 में अपना आवेदन पत्र समर्पित करेंगे।

ii- अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध सभी वर्ग के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे एवं चयन पूर्णरुपेण मेधा के आधार पर होगा और उनकी स्थिति अनारक्षित होगी।

iii- स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों की कार्यकारणी के सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य जिस वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलायें तथा सामान्य) के रहेंगे, तो ऐसे स्वयं सहायता समूहों या

महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ की गणना उनकी आरक्षण स्थिति के अवधारण के प्रयोजनार्थ उसी वर्ग में की जायेगी।

iv- आवेदन पत्र के साथ शुल्क के रुप में कोई भी राशि देय नहीं है।

v- अपूर्ण/अहस्ताक्षरित तथा विलंब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

vi- एक से अधिक पंचायत के लिये आवेदन करने पर आवेदक का सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

5. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले वांछित कागजात/प्रमाण पत्र :–

(क) सभी श्रेणी के आवेदकों के लिये :–

i- आवेदन पत्र के साथ अपना अद्यतन तीन रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, जिसमें से एक स्वअभिप्रमाणित फोटो आवेदन पत्र पर सबसे उपर दायें कोने में निर्धारित स्थान पर चिपकाया होना चाहिए। शेष दो फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जायेंगे जिनके पीछे आवेदक का नाम तथा पूरा पता अंकित होना चाहिए।

ii- शैक्षणिक योग्यता, कम्प्यूटर संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र, तथा उम्र से संबंधित मैट्रिक प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति ।

iii- अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

iv- यदि आवेदक आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदक अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

v- आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के सदस्य सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 2622, दिनांक 26.02.2019 में संलग्न अनुसूची में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

vi- दूकान या गोदाम का स्थल अगर अपना है, तो उसका खाता, खेसरा एवं रकबा से संबंधित खतियान/केवाला तथा लगान रसीद की सत्यापित छायाप्रति। अगर किराया का है तो किरायानाम (Deed of lease) से संबंधित एकरारनामा (Agreement) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

vii- आवेदक इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करेंगे कि

a) आवेदक के संयुक्त परिवार में किसी सदस्य के नाम से पूर्व में जन वितरण प्रणाली की दूकान नहीं है।

b) आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन जारी किये गये किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रुप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है।

c) आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।

d) आवेदक सरकारी लाभ/सरकारी नौकरी के किसी पद पर पदस्थापित नहीं है।

e) आवेदक अथवा उनके निकट रिश्तेदार के पास आटा चक्की नहीं है।

f) आवेदक वर्तमान में मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद का सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य नहीं है।

(ख) स्वयं सहायता समूह के लिये :–

i- समूह का गठन न्यूनतम 01 वर्ष पुराना हो तथा बैंक खाता भी न्यूनतम 01 वर्ष पुराना हो।

ii- निर्वाचन संबंधी बैठक की कार्यवाही की सत्यापित छायाप्रति।

iii- स्वयं सहायता समूह में प्राप्त ग्रेडिंग का प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

iv- स्वयं सहायता समूह के बैंक खाता की सत्यापित छायाप्रति।

v- आरक्षण का दावा हो, तो प्रबंध समिति के प्रधान सहित सभी सदस्यों का अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणि छायाप्रति संलग्न करें।

6. आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि :–

पूर्ण रुपेण भरे हुए आवेदन पत्र संलग्न अनुलग्नकों के साथ बंद लिफाफे में दिनांक 06.04.2026 से 26.04.2026 तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा **"अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई, अनुमंडल कार्यालय, जमुई, बिहार–811307"** के पते पर स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि दिनांक 26.04.2026 अपराह्न 05:00 बजे के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही दिनांक 14.04.2026 से दिनांक 04.05.2026 तक अपराहन 5.:00 बजे तक वेबसाईट **https://jamui.nic.in/** पर PDS Delear Recruitment- 2026 को कार्यरत किया जाये।

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

6/5/26

जिला पदाधिकारी,
जमुई।

अनुसूची–01

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र (व्यक्तियों के लिए)

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम
एवं कार्यालय का पता

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

1. आवेदक की विशिष्टियाँ –

(क) नाम :
(ख) पिता/पति का नाम :
(ग) शैक्षणिक योग्यता :
(घ) उम्र :
(ङ) पंचायत :
(च) स्थायी तथा वर्त्तमान पता :
(फोन नं0/मोबाईल नं0/ई0–मेल पता के साथ)
(छ) कम्प्यूटर ज्ञान :

2. उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :–

व्यवसाय स्थल का विवरण

(क) मकान/दुकान संख्या :
(ख) होल्डिंग नं0 :
(ग) क्षेत्रफल :
(घ) खाता नं0 .... खेसरा नं0 :
(ङ) चौहद्दी :
(च) मुहल्ला/वार्ड नं0 :
(छ) ग्राम/शहर :
(ज) पंचायत :
(झ) थाना :
(ञ) जिला :

3. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें और जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें
4. व्यवसाय स्थल अपना है या किराया का ? अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
5. यदि आवेदक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो विवरण दें।
6. क्या आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है ?
7. क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या सिद्धदोष ठहराया गया है ?
8. क्या आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है ?
9. क्या आवेदक सरकारी लाभ के किसी पद पर पदस्थापित हैं ? यदि हॉ तो विस्तृत विवरण दें।
10. क्या आवेदक सरकारी नौकरी में है ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें।
11. क्या आवेदक के पास आटा–चक्की है ?
12. क्या आवेदक किसी आटा–चक्की मालिक का निकट रिश्तेदार है ?
13. क्या आवेदक मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद का सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य है ?

मैं .... एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोतम जानकारी तथा विश्वास में सही हैं एवं उनमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है। भविष्य में यदि ये असत्य पाये जाते हैं तो मैं कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा।

" बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के प्रावधानों को मैंने सावधानीपूर्वक पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमद हूँ।

स्थान :–
दिनांक :–

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुसूची–02

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र

(स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ के लिए)

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम ....

एवं कार्यालय का पता

1. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की विशिष्टियाँ
   - (क) नाम एवं प्रकार :
   - (ख) निबंधन संख्या एवं वर्ष :
     (स्वयं सहायता समूह के लिए गठन का वर्ष वर्तमान ग्रेडिंग के साथ)
   - (ग) कार्यालय का पता :
   - (घ) मुख्य पेशा एवं कार्यक्षेत्र :
   - (ङ) प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/प्रधान एवं सदस्यों का विवरण :
     (निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
   - (च) अधिक्रमित होने की स्थिति मं नियुक्त प्रशासक का नाम एवं :
     पदनाम का उल्लेख करें
2. उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :–
3. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की प्रबंध समिति के द्वारा आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति से संबंधित सूचनाएँ :–
   - (क) नाम :
   - (ख) पिता/पति का नाम :
   - (ग) पंचायत :
   - (घ) स्थायी पता :
   - (ङ) पत्राचार का पता :
   - (च) फोन नं0/मोबाईल नं0/ई0–मेल पता:
4. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें एवं समिति के प्रधान सहित सभी सदस्यों की जाति का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
5. व्यवसाय स्थल का विवरण :–
   - (क) मकान/दुकान संख्या :
   - (ख) होल्डिंग नं0 :
   - (ग) क्षेत्रफल :
   - (घ) खाता नं0 .... खेसरा नं0 :
   - (ङ) चौहद्दी :
   - (च) मुहल्ला/वार्ड नं0 :
   - (छ) ग्राम/शहर :
   - (ज) पंचायत :
   - (झ) थाना :
   - (ञ) जिला :
   - (ट) गोदाम की भंडारण क्षमता :
6. दुकान या गोदाम का स्थल अपना है या किराया का ? अगर अपना है तो दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें और अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

7. यदि महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो इसका विवरण दें।

8. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह के पास उपलब्ध चलती पूंजी का विवरण :–
(आवेदन की तिथि को बैंक खातों एवं उनमें उपलब्ध राशि का विवरण दें)

मैं ....एतद् द्वारा .... की तरफ से इसकी प्रबंध समिति की बैठक में दिनांक–.. को पारित प्रस्ताव संख्या .... द्वारा अधिकृत किये जाने के आलोक में घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सही है एवं उनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि .... की प्रबंध समिति ने "बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के प्रावधानों को पढ़/समझ लिया है तथा वह उनका पालन करने के लिए सहमत है।

सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह के प्रधान का प्रतिहस्ताक्षर
नाम
पदनाम
सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह का नाम

आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह का नाम